to prevent crimes on women prompt action to bring the offenders to book will also help. The matter is kept under constant review and guidelines have been issued regarding crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as regarding dowry deaths.

National policy on employment to ensure Balanced economic growth

2537. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Will the Minister of LAFOUR bepleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a national policy on employment to ensure balanced economic growth ; and

(b) if so, the outline thereof and the time by which it is likely to be enforced ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) and (b). The Sixth Five Year Plan (1980-85) which was finalised this year give details of Government's approach in this regard.

दिल्ली नगर निगम में श्रेणी चार के कर्मचारियों की पदोन्नति

2538. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली निगर निगम में प्रथम उत्तीर्ण कर्मचारियों में से कुछ को तो पदोन्नत कर दिया गया है और ऐसे ही बाकी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा हुआ है और यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने श्रेणी चार के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया था अथवा पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की गई थीं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम लिपिकों के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित करता है और यदि हां, तो ऐसी परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण हैं तथा अब तक श्रेणी चार के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हो चुकी है; और

(घ) क्या दिनांक 5 जनवरी, 1967 को स्थायी समिति संख्या 1002 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था और यदि हां, तो परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) दिल्ली नगर निगम की सूचना के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) से प्रथमा पास उनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 5 को, मई, 1979 में निगम द्वारा उक्त अर्हता को मैट्रिकुलेशन के बराबर न होने के कारण अमान्य करने से पहले निम्न श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1980 में दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1967 के संबद्ध उपबंधों के संशोधन से पहले सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर ग्रेड-4 (लिपिक वर्गीय) की 10 प्रतिशत रिक्तियां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से भरी जाती थीं । इस संशोधन के अनुसार ग्रेड-4 (लिपिक वर्गीय) के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां सिर्फ वरीयता के आधार पर की जाती है ।